न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 19/2019

अपीलांट–
फोटा पुत्र मोहम्मद
जाति मुसलमान निवासी मतारे
का पार, साईदाद की बेरी
तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. लोंगा पुत्र मोहम्मद
2. चतु पुत्र मोहम्मद
3. शरीफ पुत्र मोहम्मद
4. मीया उर्फ मियल पुत्र मोहम्मद
   जाति मुसलमान नवासी मतारे का पार, साईदाद की बेरी तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर
5. प्रबंधक मरूधरा ग्रामीण बैंक जैसिंधर
6. प्रबंधक पीएलडीबी बैंक शाखा बाड़मेर
7. तहसीलदार गडरारोड़

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.05.2015 जो ग्राम साईदाद की बेरी के खसरा नम्बर 621/365 कुल रकबा 224–10 बीघा के विभाजन हेतु तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री हसन खां, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री केशराराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पों सं. 01 से 04 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 5 से 6 बावजूद नोटिस तामील अनुपरिस्थत।
4. रेस्पोडेंट सं. 7 परफोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 15/02/2021

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार गडरारोड़ के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:13 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा साईदाद की बेरी के खसरा नम्बर 621/365 कुल रकबा 224–10 के खातेदारान फोटा, लोंगा, चतु, शरीफ, मिया पिसरान मोहम्मद कौम मुसलमान शाकिन देह (मतारे का पार) ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2015 तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी जैसिंधर स्टेशन द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का वितरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 36 दिनांक 27.05.2015 पारित किया गया। इस आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2019 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट्स सं. 5 व 6 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पों सं. 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नं. 621/365 रकबा 224–10 बीघा आया हुआ था, जिस पर सभी अपने–अपने 1/5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे। अपीलकर्ता के हिस्से में उसकी ढ़ाणी, 4 बाड़े, टांके इत्यादि बने हुए है। अपीलांट को उत्तरदाता 01 से 04 ने गांव में लगने वाले राजस्व लोक अदालत शिविर की जानकारी दी तथा बताया कि खेत का बटवाड़ा काबिज क[illegible]सार कर देते है। इस पर अपीलकर्ता ने भाईयों पर [illegible] के बटवाड़ा नक्शा पर हस्ताक्षर कर अंगुष्ठ अंकि[illegible]ने सभी भाईयों को बराबर हिस्से ना कर अपीलकर्ता को हिस्से [illegible] भूमि कम दी गई तथा कब्जा काश्त जिस स्थान पर था उसे भी नक्शा में गलत दर्शाया गया। बटवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

कराने के पश्चात उत्तरदाता सं. 01 से 04 ने हल्का पटवारी से मिलकर अपने हिसाब से तरमीम अंकित करवा दी, जिससे अपीलकर्ता की ढ़ाणी अन्य खातेदारों के हिस्से में जा रही है। इस प्रकार उत्तरदाता सं. 01 से 04 तक गलत रूप से खेत का बटवाड़ा कराकर राजस्व नक्शा में तरमीम करवा दी है। इस आधार पर उक्त बटवाड़ा व तरमीम निरस्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अभी बरसात होने पर उत्तरदाता ने अपीलांट को उसके हिस्से से बेदखल करने एवं काश्त करने से रोका तथा पटवारी का नक्शा बताते हुए कहा कि तुम जहॉ काबिज हो वहॉ हमारा कब्जा है। इस पर अपीलांट ने दिनांक 01.07.2019 को तहसील कार्यालय गडरारोड़ जाकर अपीलाधीन विभाजन की नकलें मांगी तब सर्वप्रथम ज्ञात हुआ। इस पर तहसील कार्यालय से नकलें प्राप्त होने एवं जानकारी होने से अंदर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है फिर भी देरी को क्षमा करने के लिए पृथक से धारा 5 मयाद अधिनियम आवेदन पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया गया है। अतः अपीलांट की अपील अदंर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पों. सं. 01 से 04 के अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि राजस्व लोक अदालंत शिविर खलीफे की बावड़ी में पक्षकारान द्वारा व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपने संयुक्त खातेदारी के खेत का विभाजन कराने हेतु नियमानुसार प्रार्थना–पत्रं एवं विभाजन नक्शा प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा पक्षकारान की स्वतंत्र सहमती स्वरूप हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान अंकित करवाये गये। हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में मौका कब्जा काश्त एवं राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज का सत्यापन करते हुए विभाजन की अनुशंषा की गई। इस पर पक्षकारान क सहमती से विभाजन प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर रेकर्ड में अमलदरामद हेतु उसी दिन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की स्वयं की उपस्थिति में पारित किया गया था, जिस की जानकारी उसी दिन से थी तथा यह अपील असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जो किसी भी दशा में स्वीकार योग्य नहीं है। यदि अपीलांट विभाजन उपरांत नक्शा में हुई तरमीम से असंतुष्ट है तो उसे सक्षम न्यायालय में तरमीम [illegible] करने हेतु वाद पेश कर चाराजोही करनी चाहिए। इस प्रकार यह अपील तथ्यहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावें।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:13 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

मौजा साईदाद की बेरी के खसरा नम्बर 621/365 कुल रकबा 224–10 के खातेदारान फोटा, लोंगा, चतु, शरीफ, मिया पिसरान मोहम्मद कौम मुसलमान शाकिन देह (मतारे का पार) ने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2015 तहसीलदार गडरारोड़ के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी जैसिंधर स्टेशन द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि पक्षकारान के उक्त इकरारनामे की रिकार्ड के आधार पर जांच की गई। वर्णित भूमि उक्त खातेदारों के नाम सह काश्तकारी मे दर्ज है तथा इस इकरारनामे मे भूमि एवं लगान का वितरण सही किया गया है, इसी माफिक सभी पक्षकार सहमत है। इस पर तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 36 दिनांक 27.05.2015 पारित किया गया। इस विभाजन इकरारनामा मे भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नही करवाई गई। हल्का पटवारी की ओर से मात्र राजस्व अभिलेख मे सह खातेदारी होने एवं लगान का सही विवरण होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्य अनुसार उनके कब्जे काश्त की भूमि रेस्पोडेंट के हिस्से मे अंकित कर दी है तथा उसकी रहवासीय ढ़ाणी अन्य खातेदार के हिस्से में चली गई है। अपीलांट द्वारा इस अपील के संलग्न प्रस्तुत वर्तमान तरमीम नक्शा एवं विभाजन पत्र के संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा का मिलान करने पर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन प्रबल हो जाता है कि विभाजन नक्शा माफिक कब्जा काश्त तैयार नहीं किया गया एवं न ही स्वीकृत विभाजन नक्शा अनुसार तरमीम अंकन किया गया है। संयुक्त खातेदारी खेत के विभाजन से पूर्व मौके पर कब्जे काश्त की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए विभाजन नक्शा तैयार किया जाना आवश्यक होता है ताकि भविष्य में कब्जे की स्थिति को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो। जैसा कि अपीलांट ने प्रकट किया है कि इस विभाजन के फलस्वरूप उसकी रहवासीय ढ़ाणी अन्य खातेदार के हिस्से में चली गई है, जिसे स्थानान्तरित करने मे अपीलांट को अतिरिक्त आर्थिक नुकसान होगा, लिहाजा मौजूदा विभाजन को निरस्त किया जावें। इस प्रकार प्रस्तुत दोनों नक्शा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:13 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

तरमीम के अवलोकन से अपीलाधीन विभाजन आदेश वास्तविक कब्जे–काश्त अनुसार नही किया गया है। यद्यपि अपीलाधीन कार्यवाही अपीलांट की सहमति से निष्पादित होना अभिलेख पर है किन्तु इस विभाजन के फलस्वरूप पक्षकारान के बीच कब्जे–काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तथा वास्तविक स्थिति की जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है, जो अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा किया जाना हम उचित मानते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नही करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार गडरारोड़ द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 27.05.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार गडरारोड़ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.02.26 17:05:13 IST
Reason: SelfAttested